



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

(१४)



पत्रांक : 01 / यो0बजट-46 / 2015 (खण्ड-5)– 694 दिनांक : 18.05.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/ खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/ गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/ लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/ चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा/ कोल्हान वन प्रमण्डल, कोल्हान/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, पोड़ाहाट/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ गोड़ा वन प्रमण्डल, गोड़ा/ पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़/ साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/ जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” (पुरानी–पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी) योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बौस गैबियन से किये गये वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल रु0 127.249 लाख (एक करोड़ सताईस लाख चौबीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-67/2015–22/स्वी0 व0प0 दिनांक 01.07.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0-67/2015– 25/आ0 व0प0 दिनांक 25.04.2015 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 127.249 लाख (एक करोड़ सताईस लाख चौबीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601102590103	98.002
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601102590323	29.247
कुल :-		127.249

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 एवं कार्यदर अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19P240601102590103 तथा पी0 19P240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विषयों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस कार्यालय के पत्रांक 537 दिनांक 13.04.2016 द्वारा 221.61 रु0 प्रति मानव दिवस के आधार पर राशि की माँग की गई थी। लेकिन सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति 206.17 रु0 प्रति मानव दिवस पर आवंटन उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 219.00 रु0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 2.61 रु0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।

5. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभदार प्रजाति के पौधें वृक्षों का रोपण किया जायेगा तथा वृक्षरोपण योजना के सामर्पन वर्ष में औसत 8 फीट सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना कासफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी/ क्षेत्रीय मुख्य वन

संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रषित करेंगे।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्तद संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. योजना में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप की जायेगी।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनायें क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

17. योजना के अंतर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदण्डों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

18. रोपित पौधों / वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच / सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी

एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वसनभाजन
Chittambaram
18/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट—46 / 2015 (खण्ड—5)—694 दिनांक— 18.05.2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू, हजारीबाग/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

18/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदर्दों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

अनुलग्नक :- यथोक्त

विश्वासभाजन,

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—46 / 2015 (खण्ड—5)—694 दिनांक— 18.05.2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू/ हजारीबाग/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—46 / 2015 (खण्ड—5)—694 दिनांक— 18.05.2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/ कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/ कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/ कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला—खरसावाँ/ कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/ कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़/ कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/ कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “पथरट रोपण-सह-शहरी वानिकी” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 221.61 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	गैबियन की सं0	वित्तीय वर्ष 2015-16 (समापन कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			306.60	91.50	398.10
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल	4000	12.264	3.659	15.923
2	खूंटी वन प्रमण्डल	1500	4.599	1.373	5.972
4	सिमडेगा वन प्रमण्डल	1500	4.599	1.373	5.972
5	गुमला वन प्रमण्डल	1500	4.599	1.373	5.972
6	लातेहार वन प्रमण्डल	2000	6.132	1.830	7.962
7	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	2500	7.665	2.287	9.952
8	सरायकेला वन प्रमण्डल	2000	6.132	1.830	7.962
9	चाईबासा वन प्रमण्डल	1500	4.599	1.373	5.972
10	कोल्हान वन प्रमण्डल	500	1.533	0.458	1.991
11	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल	500	1.533	0.458	1.991
12	दुमका वन प्रमण्डल	1000	3.066	0.915	3.981
13	गोड़ा वन प्रमण्डल	1000	3.066	0.915	3.981
14	पाकुड़ वन प्रमण्डल	500	1.533	0.458	1.991
15	साहेबगंज वन प्रमण्डल	500	1.533	0.458	1.991
16	जामताड़ा वन प्रमण्डल	500	1.533	0.458	1.991
17	साठवाठ प्रमण्डल, लातेहार	1964	6.022	1.796	7.818
18	साठवाठ प्रमण्डल, राँची	2500	7.665	2.287	9.952
19	साठवाठ प्रमण्डल, सिमडेगा	1500	4.599	1.372	5.971
20	साठवाठ प्रमण्डल, आदित्यपुर	1500	4.599	1.372	5.971
21	साठवाठ प्रमण्डल, चाईबासा	1500	4.599	1.372	5.971
22	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	1500	4.599	1.372	5.971
23	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका	500	1.533	0.458	1.991
योग :-		31964	98.002	29.247	127.249

नोट :- वर्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 219.00 रु0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 2.61 रु0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



134

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शोर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-46/2015/694

दिनांक -

18-May

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं।	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26498	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,226,400.00 रुपये बारह लाख छब्बीस हजार चार सौ
2	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26503	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	459,900.00 रुपये चार लाख उनसठ हजार नौ सौ
3	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26505	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	459,900.00 रुपये चार लाख उनसठ हजार नौ सौ

योग:

2,146,200.00

क्रमिक योग:

रुपये इक्कीस लाख छयालीस हजार दो सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN) (FS)
8c ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

133)

पत्र संख्या -

01/YB-46/2015/694

दिनांक -

18-May

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26506	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	459,900.00
5	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26507	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	613,200.00
6	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26508	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	766,500.00
7	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26509	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	613,200.00
योग:				2,452,800.00
क्रमिक योग:	रुपये पैंतालीस लाख लिन्नानवे हजार			4,599,000.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHALUKHIA)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26510	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	459,900.00 रुपये चार लाख उनसठ हजार नौ सौ
9	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26511	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	153,300.00 रुपये एक लाख तीरपन हजार तीन सौ
10	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26512	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	153,300.00 रुपये एक लाख तीरपन हजार तीन सौ
11	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26513	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	306,600.00 रुपये तीन लाख छः हजार छः सौ
योग:				1,073,100.00
क्रमिक योग:				5,672,100.00

योग:

रुपये छप्पन लाख बहत्तर हजार एक सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
SC ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

10/6/2016

पत्र संख्या -

01/YB-46/2015/694

दिनांक -

18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601102590103	26514	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	306,600.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			रुपये तीन लाख छ: हजार छ: सौ
13	P 19 240601102590103	26515	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	153,300.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			रुपये एक लाख तीरपन हजार तीन सौ
14	P 19 240601102590103	26517	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	153,300.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			रुपये एक लाख तीरपन हजार तीन सौ
15	P 19 240601102590103	26519	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	153,300.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			रुपये एक लाख तीरपन हजार तीन सौ

योगः

766,500.00


क्रमिक योगः

6,438,600.00

रुपये चौसठ लाख अड्डीस हजार छ: सौ

(Y.K.Singh Chauhan)
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26521	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	602,200.00 रुपये छ: लाख दो हजार दो सौ
17	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26523	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	766,500.00 रुपये सात लाख छाँठ हजार पाँच सौ
18	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26525	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	459,900.00 रुपये चार लाख उनसठ हजार नौ सौ
19	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26527	JSRFOR116 SHIV KR PRASAD D.F.O.ADITYAPUR S.F.DIV.JSR.	459,900.00 रुपये चार लाख उनसठ हजार नौ सौ
योग:				2,288,500.00
क्रमिक योग:	रुपये सित्यासी लाख सत्ताइस हजार एक सौ			8,727,100.00


 (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

 ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

199

पत्र संख्या - 01/YB-46/2015/694

दिनांक -

18-May

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं०	निकाती एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26529	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	459,900.00 रुपये चार लाख उनसठ हजार नौ सौ
21	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26530	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	459,900.00 रुपये चार लाख उनसठ हजार नौ सौ
22	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26532	DMKFOR004 SRI KALI KINKER D.F.O.W.F.P.DUMKA	153,300.00 रुपये एक लाख तीरपन हजार तीन सौ
23	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26538	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	365,900.00 रुपये तीन लाख पैसठ हजार नौ सौ
योग:				1,439,000.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड़ एक लाख छाँठ हजार एक सौ			10,166,100.00

(Shri Y.K.Singh)
 (SHRI Y.K.SINGH C.G.U.L. IFS)
 ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
 10/15/2010

198

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26540	RNCFOR01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	137,300.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार तीन सौ
25	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26541	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	137,300.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार तीन सौ
26	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26543	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	137,300.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार तीन सौ
27	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26544	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	183,000.00 रुपये एक लाख तिरयासी हजार
योग:				594,900.00
क्रमिक योग:				10,761,000.00

YK Singh
 (SHRI.Y.K.SINGH CHACHANI FFS)
SC
 ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

127

पत्र संख्या -

01/YB-46/2015/694

दिनांक -

18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26546	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	228,700.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार सात से
29	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26547	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	183,000.00 रुपये एक लाख तिरयासी हजार
30	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26548	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	137,300.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार तीन से
31	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26549	SGHFOR002 SATISH CHANDRA RAI D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	45,800.00 रुपये पैतालीस हजार आठ से
योग:				594,800.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड तेरह लाख पचपन हजार आठ सौ			11,355,800.00

Y.K.Singh
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IPS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26550	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	45,800.00 रुपये पैंतालीस हजार आठ सौ
33	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26551	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	91,500.00 रुपये इनकानवे हजार पॉच सौ
34	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26552	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	91,500.00 रुपये इनकानवे हजार पॉच सौ
35	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26553	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	45,800.00 रुपये पैंतालीस हजार आठ सौ
योग:				274,600.00
क्रमिक योग:				11,630,400.00

रुपये एक करोड़ सोलह लाख तीस हजार चार सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

१२६

पत्र संख्या -

01/YB-46/2015/694

दिनांक -


18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आर्बटि राशि
36	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26554	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	45,800.00 रुपये पैतालीस हजार आठ सौ
37	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26555	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	45,800.00 रुपये पैतालीस हजार आठ सौ
38	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26556	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	179,600.00 रुपये एक लाख उन्नासी हजार छ: सौ
39	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26557	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	228,700.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार सात सौ
योग:				499,900.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख तीन हजार तीन सौ			12,130,300.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN (IFS))
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

10/5/2016

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26558	SDGAIFF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	137,200.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार दो सौ
41	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26560	JSRFOR116 SHIV KR PRASAD D.F.O.ADITYAPUR S.F.DIV.JSR.	137,200.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार दो सौ
42	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26561	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	137,200.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार दो सौ
43	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26562	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	137,200.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार दो सौ
<hr/>				
योग:				548,800.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड छब्बीस लाख उन्नासी हजार एक सौ		(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND	12,679,100.00


(01/01/2016)

193)

पत्र संख्या -

01/YB-46/2015/694

दिनांक -

18-May

क्रमांक	विपर कोड	एक्रेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
44	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26563	DMKFOR004 SRI KALI KINKER D.F.O.W.F.P.DUMKA	45,800.00 रुपये ऐतालीस हजार आठ से



योगः

45,800.00

क्रमिक योगः

रुपये एक करोड़ सत्ताइस लाख चौहास हजार नौ सौ।

12,724,900.00

(Signature)
SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN (IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस – गैबियन में वृक्षारोपण

1. बाँस–गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6"

2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी

– पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे०)	मजदूरी, (रु०)	सामग्री प्रति हे०	कुल व्यय (रु०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) विमोचन वर्ष 2016-18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिरक्षण हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित		0.00	0.00	20.00	20.00	पौधों का क्रय विभागीय लखे पौधों की नसरी से किया जाएगा।
2	गड़के में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना; 1 बजि बालू बजि वर्णित कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)		0.15	33.24	20.00	53.24	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)		0.10	22.16	2.00	24.16	
4	तीन कोडनी निकौपी (प्रथम—5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया.5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया.5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	33.24	4.50	37.74	
5	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)		0.50	110.81	25.00	135.81	
6	सुरक्षा		0.50	110.81	0.00	110.81	
7	साईंन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग प्रति गैबियन		0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	310.25	91.50	401.75	


 अपर प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास,
 8 झारखण्ड, राँची
15/7/2018